

## MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE

Dony Polo Public School

Affiliation No. 330307

School Code: 65307

Laxmanpur Kamlagopalpur

Near Bela Village Bihta Patna 801111

Principal Name: Dr. Shambhu Shanker Sahay

Email: donypolo@hotmail.com

Contact Details:

06115 235195

9939391578

9835079787



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

**Central Board of Secondary Education**

संचालित - Online School **Affiliation & Monitoring System R-2.0**

As per new Affiliation Bye-Laws

Contact Us



NO : CBSE/AFF/330307 /EX-01815-2122/2021-22/

Grant Letter for - :EX-01815-2122

Dated: 01/10/2020

The Manager,

**DONY POLO PUBLIC SCHOOL**

LAXMANPUR, KAMLA GOPALPUR, PO - BIHTA Distt - PATNA  
BIHAR ,PATNA , 801111  
(M: 9939391578)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding  
Ref: Application No. EX-01815-2122

With reference to your application on the subject cited above, I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No :

Affiliated for :

Category :

Period of Extension of :

330307.

Senior Secondary

Extension of General Affiliation

01.04.2021 to 31.03.2026

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is

## प्रपत्र II

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक ५५५

दिनांक १७.०३.१८

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

डोनी पोलो पब्लिक स्कूल, लक्ष्मणपुर, बिहार, पटना, पिन- ८०११११

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,


आपके आवेदन—पत्र और उसके क्रम में में आपके द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय डोनी पोलो पब्लिक स्कूल, लक्ष्मणपुर, बिहार, पटना को कक्षा 01 से 08 कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों 9.03.2018 से 8.03.2021 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न—शर्तों के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वयित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्दृत बच्चों के मामले में डोनी पोलो पब्लिक स्कूल को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:
  - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उत्तीर्ण करने के संबंध में समय एवं तदनुरूप दिए गए निदशों का पालन सुनिश्चित किया जायगा।
  - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च 2019 के पूर्व के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
  - vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्या का अनुसरण करेगा।
  9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
  10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल - 40000 वर्गफीट।  
 कुल निर्मित क्षेत्र - 3903 वर्गफीट।  
 खेल के मैदान - उपलब्ध है।  
 वर्गकक्षों की कुल संख्या - 27  
 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष- 1  
 बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय- बालक - 5 बालिका - 4  
 पेयजल की सुविधा- उपलब्ध  
 मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर- 1  
 बाधारहित पहुँच - उपलब्ध  
 शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय - उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
  12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
  13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
  14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संद्या अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
  15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण वार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्यक्षे लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
  16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT/414 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
  17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
  18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
  19. आपके विद्यालय का औपबंधिक निबंधन करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों का निबंधन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

  
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
 प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान  
 पटना

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,  
 उप सचिव,

सेवा में

अध्यक्ष,  
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
 शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,  
 नई दिल्ली - 1100921

पटना, दिनांक : 29/06/10

विषय

झोनी पोलो पब्लिक रकूल, बिहार, पटना को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने  
 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा झोनी पोलो पब्लिक रकूल, बिहार, पटना को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त रिपोर्ट निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय झोनी पोलो एन्जुकेशनल हैल्थ एण्ड वेलफेर ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्वाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रॉड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 के भानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के भानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह रपष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए गारदर्शिता वरती गयी हो। विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायें जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

#### अपेक्षित शर्तें के अनुरार :

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नागांकन पड़ोश में निवास करने वाले बच्चों का निःशुल्क किया जाएगा तथा उनसे दृश्यान् शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा

वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपये वर्ष होंगे को रखा गया है।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कोर्जी अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जाएगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुल तरिका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
- (iii) नर्सरी/कोर्जी तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किमी ०५ एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किमी ०३ तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे लिई गई आवेदन शुल्क का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली अपने स्तर से जँच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित माप दंड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी राहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसेप्टस एवं वैक्साईट में करना होगा। शर्तों की उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक - 46 दिनांक - 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं

दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा राज्यरथ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा

निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर डोनी पोलो पब्लिक स्कूल,

बिहटा, पटना को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती

है।

अनु०— जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना का जँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक :

422 दिनांक : 11.03.10 के

ह०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक 29/06/10

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि — जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक : 422 दिनांक : 11.03.10 के

प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

ज्ञापांक 577

प्रतिलिपि प्राचार्य, डोनी पोलो पब्लिक स्कूल, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक 29/06/10

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

**APPENDIX-III**

**FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS  
ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH  
THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION**

(In accordance with **School Safety Policy, 2016** issued by the NDMA, **Manual on Safety and Security of Children in Schools** developed by NCPCR and the **National Building Code**)

**PART-A**

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer along with all supporting documents and certificates in original)

**GENERAL INFORMATION**

1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	330307
2	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	DONY POLO PUBLIC SCHOOL
3	Address of the School:	LAXMAN PUR, KAMLA GOPALPUR, BIHTA-PATNA
4	Standard/level/class up to which the school is running:	UPTO +2 (XII) From Class -1 to Class
5	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	✓ YES/NO
6	U-DISE code allotted to the school:	10280502103
7	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	DONY POLO EDUCATIONAL, HEALTH AND WELFARE TRUST
8	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	✓ YES/NO
9	Purpose of present application:	✓ Extension/ Upgradation
10	Location of school	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In the municipal limits of metropolitan city</li> <li>• In the municipal limits of city having population more than 15 lakhs</li> <li>• In the hill areas (as per planning commission norms)</li> <li>• In the municipal limits of capital city of a state</li> <li>• In the municipal limits of class-x cities</li> <li>• On an island</li> <li>• In the municipal limits of a hill station</li> <li>• In the municipal limits of city having</li> </ul>

  
**PRINCIPAL**  
**DONY POLO PUBLIC SCHOOL**  
**LAXMANPUR, BIHTA, PATNA**  
**Affiliated to CBSE**  
 (Signature of Principal)

  
**DIST. EDUCATION OFFICER**  
**PATNA**  
 (Signature of D.E.O.)


**APPENDIX-III**

		* ✓ population less than 15 Lakhs outside the municipal limits of any town/city.
10	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8 <sup>th</sup> ?	✓ YES/NO
11	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8 <sup>th</sup> and date of issue:	555 / 17.03.18 ✓ YES/NO
12	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	(If yes name of the Board)  (Also mention whether the school is affiliated for Class-X or XII)
<b>INFORMATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP</b>		
13	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	✓ YES/NO
14	Are both the School and the Play Ground situated in a single compound bounded by a single continuous Boundary Wall on all sides?	✓ YES/NO
15	Total area (in square meters) in respect of 13 and 14 above on which the school is situated:	AREA IN SQ.M. 8169.61 SQ. M.
16	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:	✓ S. Deed/Lease Agreement Deed/Allotment etc.
17	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-16 above:	SUPRIYA SINHA
18	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:	FROM 15-02-2010 TO 14-02-2045 TOTAL 30 YEARS
19	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?	✓ YES/NO If yes the details
<b>INFORMATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS</b>		
20	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?	✓ YES/NO
20(a)	If yes the date of last inspection:	03/02/2020
21	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?	✓ YES/NO
21(a)	If yes the date of last inspection:	29/01/2020
22	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to be satisfactory and the water has been found safe for drinking?	✓ YES/NO


*Dan*  
**PRINCIPAL**  
**DONY POLO PUBLIC SCHOOL**  
 FAX: 06545-211000  
 E-mail: dpony@rediffmail.com  
 (Signature of Principal)

*21/02/2020*  
**Dist. Education Officer**  
 (Signature of D.E.O.)  
**PATNA**

## APPENDIX-III

22(a)	If yes the date of last inspection:	
<b>INFORMATION REGARDING THE STAFF</b>		
23	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?	<input checked="" type="checkbox"/> YES/NO
24	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	<input checked="" type="checkbox"/> YES/NO
25	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	<input checked="" type="checkbox"/> YES/NO
26	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	<input checked="" type="checkbox"/> YES/NO
 <b>MANAGER</b> <b>DONY POLO PUBLIC SCHOOL</b> <b>LAXMANPUR, BIHTA, PATNA</b> <b>Affiliated to CBSE</b>		 <b>PRINCIPAL</b> <b>DONY POLO PUBLIC SCHOOL</b> <b>LAXMANPUR, BIHTA, PATNA</b> <b>Affiliated to CBSE</b>
<p align="center"><b>PART-B</b></p> <p align="center">(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)</p>		
File No..... <u>1709</u>		Date of Issuance..... <u>14/2/2020</u>
1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.	
2	Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation?	
	<input checked="" type="checkbox"/> YES/NO  <u>14/2/2020</u> <b>Dist. Education Officer</b> Signature <b>RATNA</b> <b>(Name and Stamp of Issuing DEO)</b> <b>DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT</b>	

  
**PRINCIPAL**  
**DONY POLO PUBLIC SCHOOL**  
**LAXMANPUR, BIHTA, PATNA**  
**Affiliated to CBSE**  
(Signature of Principal)

  
14/2/2020  
**Dist. Education Officer**  
**PATNA**  
(Signature of D.E.O.)

**DONY POLO SCHOOL, (PATNA)**

**Reg. Charges:- 350/-**

**Fee Structure (2021-2022)**

<b>CLASS</b>	<b>Rs.</b>
Nur.	850
LKG	900
UKG	950
I	1000
II	1050
III	1100
IV	1150
V	1200
VI	1250
VII	1350
VIII	1450
IX	1600
X	1750
XI	2500
XII	2500